न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 27 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मोटा उर्फ मोटाराम पुत्र श्री खेताराम **बनाम** उम्र 61 वर्ष जाति माली, निवासी ढुंढा तहसील व जिला बाड़मेर।
2. श्रीमती अणची पत्नी श्री हजारीराम पुत्री श्री खेताराम उम्र 52 वर्ष निवासी बाड़मेर।
3. श्रीमती लहरी पत्नी श्री चुन्नीलाल पुत्री श्री खेताराम, उम्र 65 वर्ष निवासी बाड़मेर।
4. श्रीमती बबरी पत्नी श्री मगाराम पुत्री श्री खेताराम उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कुड़ला, तहसील व जिला बाड़मेर।
5. पदमो पत्नी श्री पूसाराम पुत्री श्री खेताराम, उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम सेवकर, जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।
2.भोमाराम पुत्र श्री नारणा, जाति माली(परफोर्मा पक्षकार)
3.देवाराम पुत्र श्री नारणा, जाति माली (परफोर्मा पक्षकार)
4.नेनू पत्नी श्री नारणा, जाति माली (परफोर्मा पक्षकार) निवसी ग्राम ढुंढा, तहसील व जिला बाड़मेर।
5.श्रीमती मेहरी पुत्री श्री खेताराम (परफोर्मा पक्षकार) निवासी ढुंढा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व आवेदन संख्या 53 / 2013 बअनवान सरकार बनाम भोमाराम वगैरह, में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 22.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा ढुंढा के खसरा संख्या 807 / 397 रकबा 22.07 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है जिसका रेस्पोडेंट भूमि का भूपति है, अपीलार्थीगण खातदेारी कृषि भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न अवैध जिप्सम खुदाई कर रहा है, एवं खसरे की भूमि में बिना माईनिंग लीज प्राप्त कर अवैध खनन कार्य किा जा रहा है, इस आधार पर खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

समाप्त की जावे. उक्त प्रार्थना–पत्र पुरजोर विरोध कर अपीलार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ के अलावा अकृषि प्रयोनार्थ कभी नहीं किया गया है, अप्रार्थीगण का व्यवसाय कृषि मात्र है, उक्त जमीन का जिप्सम हेतु उपयोग नहीं लिया जा रहा है, अपीलार्थीगण द्वारा अन्य फैक्ट्रीयों में जिप्सम विक्रय करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार से काश्तकारी कानून उल्लंघन नहीं किया है, साथ ही अपीलार्थी ने विशेष आपत्तियां भी अपने जबाव में दर्ज की, लेकिन उक्त आपत्तियों का मनन नहीं करते हुए रेकर्ड से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना, स्वेच्छाचारी विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2018 को पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट पक्ष के वकील की आपति है कि उनके पक्ष पर वाद की सुनवाई हेतु निश्चत की गई तारीख की सूचना की सम्यक तामीली नहीं कराई गई है तथा जो निर्णय दिया गया है वह उन्हे बिना सूचना दिये, बिना उनका पक्ष सुने राजस्व लोक अदालत केम्प में एकतरफा पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी का अवैध रूप से खान कार्य नहीं किया, तथा उक्त भूमि जो फर्टिलाइजर कम्पनी यानि एफ सी आई ने जिप्सम खनन हेतु अवाप्त कर ली थी, लेकिन अपीलार्थीगण की भूमि पर जिप्सम उलब्ध नहीं होने पर वापिस अपीलार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को वाद के रूप में बदल दिया जाता तो अपीलार्थीगण को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं बेगुनाह होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका मिलता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अपनी बेगुनाही की साक्ष्य प्रस्तुत करने का कतई मौका नहीं दिया व एकतरफा आदेश पारित किया। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या **807/397** रकबा 22.07 बीघा विवादग्रस्त आराजी में कृषि से भिन्न जिप्सम की खुदाई कर बिना माइनिंग लीज के अवैध

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खनन कर जिप्सम फैक्ट्रियों के मालिकों को बेचान कर बिना रायल्टी चुकाये राजस्व हानि व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। उसके संलग्न जो मौका फर्द दिनांक 11.05.2018 है, के अनुसार "राजस्व ग्राम ढुंढा में खसरा संख्या 807/397 रकबा 22.07 बीघा के मौके पर जमाबंदी अनुसार विप्रार्थीगण के नाम दर्ज होना बताकर कर लिखा है कि इनकी खातेदारी भूमि में अवैध जिप्सम निकालने के लिए मौके पर गडढे पाए गए।" इस मौका फर्द पर न तो किसी गवाह और न ही मोतबिरान का उल्लेख एवं हस्ताक्षर ही है, न ही इसमें स्पष्ट है कि विवादित खसरे की 22.07 बीघा भूमि में से कितने क्षेत्रफल में, किस–किस जगह पर अवैध खनन, किसी–किस काश्तकार द्वारा किया गया है। इसी तरह मौका फर्द "मौके पर उक्त खसरे में खड्डी(जिप्सम) निकालने के निशानात (खड्डे) खोदे हुए पाए गए मौके पर झाड़ियां खड़ी है। इससे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरे में कहां–कहां, कितने रकबे में कितने लम्बे चौड़े गढढे कब–कब एवं किन–किन काश्तकारों द्वारा किये गए हैं। प्रस्तुत अभिलेख खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 में वादग्रस्त खसरा संख्या 807/397 रकबा 22.07 बीघा में 20 बीघा में विप्रार्थीगण की बाजरी, मूंग तथा ग्वार की काश्त दर्ज पाई गई है। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत एफ.सी.आई. राजस्थान जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. का पत्र 3(28)691 दिनांक 31.05.2012 है जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि ग्राम ढुंढा के खसरा संख्या 397 भूमि में जिप्सम अनुपलब्धता के बाद समय–समय पर राज्य सरकार को समर्पण कर दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित खसरे की भूमि भी जिप्सम खनन हेतु लीज पर दी गई थी और इससे जिप्सम खनन हो जाने के बाद भूमि वापस समर्पित की गई। इससे उक्त खसरे में खनन के गडे एवं खनन का कार्य अपीलांटगण द्वारा किया जाना पूर्णतया साबित नहीं होता। प्रकरण में वाद की भांति उभयपक्ष के साक्ष्य सबूत नहीं लिये गए है जैसा कि धारा 177 में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन को नियमित वाद की तरह लिया जाना अपेक्षित किया गया है; और वाद में निर्णय से निर्विवादित अवधारित नहीं किया जा सका है कि अमुक खातेदार द्वारा अपनी कृषि जोत पर गैर कृषि कार्य किया गया। इसलिए अपीलांटगण के खातेदारी अधिकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का अवसान करना न्यासंगत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व आवेदन संख्या 53/2013 बअनवान सरकार बनाम भोमाराम वगैरह, में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांटगण को हिदायत दी जाती है कि वे अपने खातेदारी की वादग्रस्त आराजी की सम्यक तत्परता से अनवरत निगरानी करे ताकि कोई अवैध खनन नहीं कर पाए एवं आराजी का किसी भी सूरत में भविष्य में गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो, अन्यथा वे इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।

22/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner